BOARD OF TRUSTEES

Luis Miranda, Chairman
Parth J Shah, President
Ankur Shah
Ashish Dhawan
Gurcharan Das
Iris Madeira
Premila Nazareth

ADVISORS

Amit Kaushik
Madhav Chavan
Praveen Chakravarty
Reuben Abraham

SCHOLARS

Ajay Shah
Deepal Lal
Isher J Ahluwalia
Jagdish Bhagwati
Leland Yeager
Lord Meghnad Desai
Shreekant Gupta
Surjit Bhalla
Swaminathan Aiyar
Urjit Patel

Contact Us:
A-69, Hauz Khas
New Delhi 110016
Tel: +91 11 2653 7456
2652 1882
Fax: +91 11 2651 2347
Email: ccs@ccs.in

www.ccs.in
www.azadi.me
www.jeevika.org
www.schoolchoice.in
www.righttoeducation.in

प्रेस विज्ञप्ति

सभी कक्षाओं के छात्रों का मूल्यांकन क्यों नहीः हाईकोर्ट

- सेंटर फॉर सिविल सोसायटी की याचिका पर चारों नगर निगमों और शिक्षा निदेशालय को हाईकोर्ट की नोटिस

- 28 नवंबर तक जवाब दाखिल कर आरटीई के तहत प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के मूल्यांकन की योजना स्पष्ट करने का निर्देश

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशालय व सभी नगर निगमों को नोटिस जारी कर स्कूली छात्रों के लर्निंग असेसमेंट (सीखने की क्षमता का मूल्यांकन) की योजना के बाबत जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने यह नोटिस अग्रणी थिंकटैंक सेंटर फॉर सिविल सोसायटी (सीसीएस) द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है। याचिका को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने वाले शिक्षा के अधिकार कानून (आरटीई) में वर्णित सभी कक्षाओं के छात्रों के मूल्यांकन की बात को आधार बनाकर दायर किया गया है।

विदित हो कि दिल्ली सरकार द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 'चुनौती 2018' योजना बनाई गई है। योजना के तहत छठीं से आठवीं कक्षा तक के छात्रों के सीखने की क्षमता का मूल्यांकन कर उसमें सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात की गई है। सरकार द्वारा इस बाबत कराए गए हालिया मूल्यांकन में 6वीं कक्षा के 74% छात्रों के द्वारा हिंदी की किताब तक पढ़ने में अक्षमता उभर कर आयी थी।

शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी व न्यायाधीश संगीता ढींगरा सहगल ने सीसीएस द्वारा सभी कक्षाओं के छात्रों के मूल्यांकन के बाबत दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राजधानी के सभी चारों नगर निगमों और दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने उक्त सभी एजेंसियों से 28 नवंबर से पहले-पहले तक अपने जवाब दाखिल कराने को कहा है। सीसीएस की ओर से मामले में जिरह करते हुए वकील प्रशांत नारंग ने बताया कि शिक्षा के अधिकार कानून को स्कूल जाने के अधिकार तक सीमित कर दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार को सीखने की क्षमता में सुधार की बजाए स्कूल भवनों के निर्माण, अध्यापकों की भर्ती और शौचालयों के निर्माण आदि पर ही जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समय समय पर होने वाले सरकारी व गैर सरकारी अध्ययनों से सिद्ध होता है कि शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार गिरावट हो रही है। आरटीई सरकार, स्थानीय प्रशासन व अध्यापकों को कानूनी रूप से शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चत करने के लिए बाध्य करता है। प्रशांत के मुताबिक दिल्ली सरकार की 'चुनौती 2018' योजना के तहत 6वीं से 8वीं कक्षा के छात्रों के सीखने की क्षमता के मूल्यांकन (लर्निंग असेसमेंट) की तर्ज पर प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों का मूल्यांकन भी किया जाना जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मूल्यांकन से तात्पर्य कमजोर छात्रों को फेल करना नहीं बल्कि उनके कमजोर पक्षों पर विशेष ध्यान देकर प्रदर्शन सुधारना है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे:

एड. प्रशांत नारंग, prashant@ijustice.in, 9811322297

अविनाश चंद्र, avinash@ccs.in 99998 82477